

NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA
(An Apex Organisation of the Indian Cooperative Movement)
3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi - 110 016

Phone : 26512750, 26861988, Fax : 011- 26863248, 41811153
26861472, 26565146 E-mail : ncuidel@ndb.vsnl.net.in

Ref.No.: NCUI/CDN/11(AGM)/2015-2016

Dated: 25.08.2015

Managing Director/Chief Executive,
All Member Institutions of
National Cooperative Union of India

Sub: Nomination of delegates to the General Body of National Cooperative Union of India.

Dear Sir/Madam,

As per the provision of bye-law No. 12(ii) of NCUI' bye-laws, the Annual General Body Meeting of the National Cooperative Union of India for the year 2014-2015 may be held on 28th September, 2015 in the Auditorium of NCUI at New Delhi.

2. Each member institution of NCUI is required to nominate their **one** delegate to the NCUI General Body. Nomination of delegate by member institutions will be governed by the provisions of Section 38(3) of the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 and Bye-law no.10 and 11(a) of NCUI, which are reproduced below :-

Section 38(3) of the Multi –State Cooperative Societies Act, 2002:-

"Where in any meeting of the general body or the board of a Multi-State Cooperative Society, a cooperative society or another Multi-State Cooperative Society is to be represented, such cooperative society or other Multi-State Cooperative Society shall be represented in such meeting only through the chairperson or the President or the Chief Executive or a member of the board of such cooperative society or other multi state cooperative, as the case may be, if such member is so authorized by the board and where there is no board of such cooperative society or Multi-State Cooperative Society, for whatever reasons, through the administrator, by whatever name called, of such cooperative society or other multi-state cooperative society:

Provided that where the bye-laws of a Multi-State Cooperative Society provide for representation of other institutions in any meeting

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

(भारतीय सहकारी आन्दोलन की शीर्षस्थ संस्था)

3, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110 016

दूरभाष : 26512750, 26861988, फ़ैक्स : 011-26863248, 41811153
26861472, 26565146 ई. मेल : ncuidel@ndb.vsnl.net.in

संदर्भ सं. : एन.सी.यू.आई./सी.डी.एन./11(ए.जी.एम.)/2015-2016

दिनांक 25.08.2015

भा.रा.सह. संघ की सभी सदस्य संस्थाओं के
प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी

विषय : भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों का नामांकन ।

प्रिय महोदय/महोदया,

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की उप विधि संख्या 12(ii) के अनुसार वर्ष 2014-2015 के लिये सामान्य निकाय की अगली बैठक 28 सितम्बर, 2015 को संघ के आडीटोरियम में आयोजित होनी है ।

2. इसलिये भा.रा.सह.संघ की प्रत्येक सदस्य संस्था को भा.रा.सह. संघ की सामान्य निकाय के लिये अपने एक प्रतिनिधि का नामांकन करना है । सदस्य संस्थाओं द्वारा प्रतिनिधियों का नामांकन बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 की धारा 38(3) और भा.रा.सह. संघ के उपनियम संख्या 10 और 11(ए) के अन्तर्गत किया जाना है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :

बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 की धारा 38(3)

जहां एक बहु-राज्य सहकारी समिति के सामान्य निकाय या बोर्ड की बैठक के किसी सहकारी समिति अथवा अन्य बहु-राज्य सहकारी समिति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना है वहां सहकारी समिति अथवा अन्य बहु-राज्य सहकारी समिति द्वारा ऐसे बैठकों में प्रतिनिधित्व सहकारी समिति या अन्य बहु-राज्य सहकारी समिति के अध्यक्ष/अध्यक्षा अथवा मुख्य कार्यकारी या बोर्ड के सदस्य द्वारा, जैसा भी मामला हो, किया जायेगा बशर्ते कि सदस्य को बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया हो और जहां कहीं सहकारी समिति या बहु-राज्य सहकारी समिति में किसी भी कारण से कोई बोर्ड नहीं है ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहु-राज्य सहकारी समिति के प्रशासक, किसी भी नाम से जाना जाता हो, द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा ।

जहां एक बहु-राज्य सहकारी समिति के उप-नियमों में किसी अन्य संस्था के सामान्य निकाय या ऐसी बहु-राज्य सहकारी समिति के बोर्ड की बैठक में भाग लेने का प्रावधान किया गया है वहां ऐसी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा नामिति व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।

of general body or the board of such Multi-State Cooperative Society, such institutions shall be represented through its nominee."

Bye-law No.10 : General Body

- (i) *the general body of the Union shall consist of delegates of member societies.*
- (ii) *the tenure of the delegates of member society shall be co-terminus with the term of the Managing Committee/Board of the member society.*
- (iii) *In case of change of delegate of any member cooperative, 30 days notice shall be given to NCUI and new delegate shall function for the unexpired term of the original delegate.*

Bye-law No. 11(a) : Representation on the General Body

a) *Each member society shall send one delegate to the general body of the Union.*

3. We, therefore, request you to kindly send the name and address of your delegate (**one**) to the General Body of National Cooperative Union of India, in the prescribed proforma, enclosed at Annexure-I, as per the above provisions of the Multi-State Cooperative Societies Act and Bye-laws of NCUI by 15th September, 2015.
4. A copy of the Resolution adopted by the competent authority of member society nominating the delegate duly attested by the Chairman/ Secretary/ Chief Executive or any authorized officer under the seal of the society should also be sent along with the nomination.
5. It shall be appreciated if the nomination of your delegate or change of nominated delegate of your society may be communicated to us by 15th September, 2015 positively to make the necessary arrangements well in time.

Thanking you,

Yours faithfully,

DW 25.8.15
(Dr. Dinesh)
Chief Executive

Encl: As above.

उप नियम संख्या 10 : सामान्य निकाय

- (i) संघ के सामान्य निकाय में सदस्य समितियों के प्रतिनिधि होंगे ।
- (ii) सदस्य समिति के प्रतिनिधि का कार्यकाल सदस्य समिति की प्रबंधन समिति/बोर्ड के समापन के साथ समाप्त हो जायेगा ।
- (iii) किसी सदस्य सहकारी समिति के प्रतिनिधित्व में किसी परिवर्तन की दशा में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ को 30 दिन का नोटिस दिया जायेगा, और नया प्रतिनिधि मूल प्रतिनिधि के बचे कार्यकाल के लिये प्रतिनिधित्व करेगा ।

उप नियम संख्या 11(ए) : सामान्य निकाय में प्रतिनिधित्व

- (क) समिति का प्रत्येक सदस्य संघ के सामान्य निकाय हेतु एक प्रतिनिधि भेजेगा ।
3. इसलिये हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के सामान्य निकाय के लिये बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम और भा.रा.सह. संघ के उप-नियमों के अनुसार अनुबंध-अपर संलग्न निर्धारित प्रोफार्मों में अपने एक प्रतिनिधि का नाम और पता 15 सितम्बर, 2015 तक भेजने की कृपा करें।
4. सदस्य समिति की सक्षम निकाय द्वारा पारित प्रस्ताव की एक प्रति, जिसे समिति की मोहर के साथ समिति के अध्यक्ष/सचिव/मुख्य कार्यकारी या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है, भी नामांकन के साथ भेजी जानी चाहिये ।
5. मैं आपका आभारी रहूँगा यदि आपके प्रतिनिधि का नामांकन, या नामांकन में कोई बदलाव हो तो उसे दिनांक 15 सितम्बर, 2015 तक संघ में भेज दें ताकि समय पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।

धन्यवाद,

भवदीय,

(डा० दिनेश)
मुख्य कार्यकारी

25/8/15

संलग्न : यथोपरि ।

NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA
Proforma for Nomination of Delegate to the Annual General Body of NCUI

1. Name of the Member Institution _____

2. Address/Telephone nos./Fax/E-mail address of the Member Institution _____

3. Details of the delegate

| Name and position of delegate (Chairman/ Chief Executive/ Director/ Administrator) | Address of the delegate for correspondence/E-mail address, telephone & Fax No. | Specimen Signature of the delegate duly attested |
|--|--|--|
| | Mailing Address E-mail Tel/Fax No. Mob. No. | Signatures attested (Name & designation of the person attesting the signatures) |

4. Nominated Vide *Resolution No. _____ dated _____ of the _____ (Board/Administrator competent to nominate).

5. Date of expiry of the term of Managing Body/Board _____.

(Signature of Chairman/Secretary/Managing Director/
Chief Executive Officer/Administrator)

Seal of the Institution _____

(*Please enclose a certified copy of the resolution)

अनुबंध अ

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

भा०रा०सह०संघ के सामान्य निकाय की बैठक में प्रतिनिधि के नामांकन हेतु प्रोफार्मा

1. सदस्य संस्था का नाम
2. सदस्य संस्था का पता/टेलीफोन न०/फैक्स/ई-मेल
3. प्रतिनिधि का विवरण

| प्रतिनिधि का नाम और पदनाम(अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी/निदेशक/प्रशासक) | पत्राचार हेतु प्रतिनिधि का पता, टेलीफोन और फैक्स नम्बर | प्रतिनिधि के विधिवत सत्यापित हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | पत्राचार का पता ई-मेल टेलिफोन/फैक्स नं० मेबाइल नं० | हस्ताक्षर सत्यापित (हस्ताक्षर सत्यापित करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम) |

4. नामित करने वाले निकाय यथा बोर्ड/प्रशासक के प्रस्ताव संख्या
दिनांक..... के तहत नामित ।
5. बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति की तारीख

(अध्यक्ष/सचिव/प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यकारी/ प्रशासक के हस्ताक्षर)

संस्था की मोहर
(कृपया प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न करें।)